

## भारत सरकार Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy केंद्रीयकृत काडर अनुभाग Centralised Cadre Section

अणुशक्तिभवन Anushakti Bhavan, छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई Mumbai – 400 001

सं. No. 1/8/2017-सीसीएस CCS/15209

November 23, 2017

## कार्यालय आदेश क्र. OFFICE ORDER No. 51/2017

विषय : मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12) के ग्रेड में पदोन्नति / तैनाती Subject : / स्थानांतरण ।

Promotions / postings /transfers in the grade of Chief Administrative Officer in Level 12 in the Pay Matrix.

काडर प्राधिकारी द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल 12) के ग्रेड में निम्नलिखित पदोन्नति / तैनाती / स्थानांतरण का आदेश एतद्वारा दिया जाता है :-

The following promotions/postings/transfers in the grade of Chief Administrative Officer in Level 12 in the Pay Matrix are hereby ordered by the Cadre Controlling Authority:-

- (i) Shri O. T. Alex, Chief Administrative Officer, RRCAT, Indore is transferred in the same capacity and posted to NRB, BARC, Mumbai vice Shri V. Padmanabhan retiring on superannuation on 30.11.2017.
- (ii) Smt. Shailaja Prakasam, Administrative Officer-III, BARC, Mumbai is promoted to the grade of Chief Administrative Officer (Level 12 in the Pay Matrix) and posted to RRCAT, Indore vice Shri O. T. Alex transferred.
- 2. चूंकि श्री ओ. टी. अलेक्स का स्थानांतरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया गया है इसलिए वे स्थानांतरण यात्रा भता, कार्यारंभ समय आदि के लिए पात्र नहीं हैं ।

As the transfer of Shri O. T. Alex, Chief Administrative Officer is on own request, he will not be eligible for Transfer TA, Joining time etc.

3. काडर प्राधिकारी द्वारा दिए गए पदोन्नित के आदेश को इसकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अविध के भीतर सतर्कता क्लियरेंस की शर्त पर अमल में लाया जाना चाहिए अन्य था संबंधित अधिकारी विभाग की नीति के अनुसार एक वर्ष की अविध हेतु पदोन्नित से वंचित हो जाएंगे।

The order of promotion is to be effected within a period of 15 days from the date of receipt thereof, subject to vigilance clearance, failing which the officer will stand debarred from promotion for a period of one year as per the policy of the Department.

जयत्री या 23:11-17 (जयश्री एस. Jayashree S.)

अवर सचिव Under Secretary

पऊवि के सभी इकाइयों के प्रमुख All Heads of Units of DAE पऊवि के सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units of DAE संबंधित अधिकारी - उचित माध्यम द्वारा Officers concerned – Through proper channel सं. No. 1/8/2017-सीसीएस CCS/15209

November 23, 2017

## प्रति प्रेषित /Copy to:

1. प्रजित के सभी अधिकारी/अनुभाग(ईं मेल द्वारा) - All officers and Sections in DAE (Through e-mail).

2. प्रधान, एमएसजी, पंजवि, मुंबई - इसे पंजवि की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के अनुरोध के साथ। Head, MSG, DAE, Mumbai - with a request to upload on DAE website.

अयम्री उ। 23.11.17 (जयश्री एस. Jayashree S.) अवर सचिव Under Secretary